न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

राजस्व निगरानी संख्या 20/ 20 वर्ष 2020
जीसीएमएस संख्याः– (2020/00176)
बउनवानीः–1. केदार पुत्र स्व0 हरिनारायण गुर्जर निवासी फलोदी तह0 सवाईमाधोपुर
2. रमेश पुत्र स्व0 हरगोविन्द गुर्जर निवासी फलोदी तह0 सवाईमाधोपुर

बनाम

1. राजेश पुत्र स्व0 बद्री गुर्जर निवासी फलोदी तहसील सवाईमाधोपुर
2. विष्णु पुत्र स्व0 बद्री गुर्जर निवासी फलोदी तहसील सवाईमाधोपुर
3. श्रीमति गीता पत्नि स्व0 बद्री गुर्जर निवासी फलोदी तहसील सवाईमाधोपुर
4. श्रीमति विन्तेश पुत्री स्व0 बद्री गुर्जर निवासी फलोदी तह0 सवाईमाधोपुर हाल निवासी सुनारी तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी
5. उपखण्ड अधिकारी(आवंटन अधिकारी) सवाईमाधोपुर

(निगरानी प्रार्थना विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 5.9.1985 तहसीलदार सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम,1970)
उपस्थितः– 1. श्री रामलखन माहुर वकील प्रार्थीगण

–: निर्णय :– दिनांक 18.12.2025

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 5.9.1985 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी को सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति की राय पर अप्रार्थी संख्या 1,2,4 के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 3 के पिता बद्री पुत्र भवंर लाल गुर्जर निवासी फलोदी को ग्राम फलोदी मे स्थित 405 रकबा 5 बीघा का आवंटन कृषि कार्य हेतु आवंटन सलाहकार समिति उपजिला कलेक्टर स0मा0 द्वारा दिनांक 5.9.1985 को किया गया था आवंटी ब्रदी का करीब 2 माह पूर्व देहान्त हो चुका है अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 एवं अप्रार्थी संख्या 3 व अप्रार्थी 4 पुत्री है। उक्त कृषि भूमि के नवीन सेटलमेंट पश्चात वर्तमान ख0न0 3639 रकबा 0.24 है0,ख0न0 3640 रकबा 0.16 है0, ख0न0 3642 रकबा 0.19 है0,ख0न0 3643 रकबा 0.27 है0 बने है जो आवंटी बद्री पुत्र भवंरलाल गुर्जर निवासी फलोदी के खातेदारी मे दर्ज है। उक्त आवंटन आवंटी बद्री के पक्ष में कतई गलत तथ्यों, एवं अवैधानिक एवं आवंटन नियमो के विरूद्व, धोखाधडीपूर्वक गोपनीय रूप से करवाया गया है तथा आवंटन के पश्चात भी उसने आवंटन नियमों की कतई पालना नही की ऐसी सूरत मे उसका आवंटन निरस्त होने योग्य है । यह तर्क भी दिया कि आवंटी बद्री द्वारा ख0न0405 करबा 5 बीघा के आवंटन बाबत कोई प्रार्थना नही बल्कि लडडू, रामनिवास के नाम का आवेदन था जिसपर काटछांट की गयी है आवेदन पत्र पर हल्का पटवारी एवं गिरदावर द्वारा दोनो प्रार्थीयो का कब्जा होने की रिपोर्ट की गयी है ओर ना ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बद्री को आवंटन बाबत किसी प्रकार की सिफारिश की गयी है इसलिए भी उक्त आवंटन नियम विरूद्व है। आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कभी कब्जा काश्त नही रहा न ही उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान का कब्जा आज दिन तक रहा है। इस भूमि पर प्रार्थी के पिता मृतक हरिनारायण व हरगोविन्द का कब्जा काश्त रहा है तथा प्रार्थीगणों ने कई वर्षो से मौके पर एकचक खेत बनाकर चारो ओर तारफेसिंग कर रखी

.....(1).....

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

है एवं कुआं खुदवा रखा है जिससे प्रार्थीगण सिचाई करते है। आवंटी एवं उसके वारिसान का उक्त भूमि पर आजदिनांक तक कब्जा काश्त नही रहा है। कब्जा रिपोर्ट मे आवंटी का कोटा रहना बताया गया है इसलिए भी आवंटन निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आवंटन से पूर्व आवंटन कमेटी द्वारा नियमानुसार आवंटन की घोषणा जारी नही की और आवंटन का नोटिस भी जारी नही किया था जिस कारण प्रार्थीगण के पिता इस भूमि को पुनः आवंटन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश नही कर सके तथा आवंटी द्वारा ख0न0 405 के आवंटन बाबत कोई प्रार्थना नही की इसलिए प्रार्थी के पिता इस आवंटन का विरोध नही कर सके। अप्रार्थीगण के पिता को आवंटित उक्त भूमि पर प्रार्थीगणो के पिता के समय से लेकर आज तक निर्विवाद कब्जा चला आ रहा है। उक्त संबंध में तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 2579 दिनांक 17.5.2024 से प्राप्त वस्तुस्थिति की रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि ख0न0 405 से बने हाल ख0न0 3639 रकबा 0.24 है0 पर सोहनलाल पत्रु रघुनाथ, एवं ख0न0 3640 रकबा 0.16 है0 पर रामसिंह पुत्र जगन गुर्जर, ख0न0 3641 रकबा 0.40 है0, ख0न0 3642 रकबा 0.19 है0 पर भैरू पुत्र सुखपाल गुर्जर, ख0न0 3643 रकबा 0.27 है0 नन्दकिशोर पुत्र जगदीश गुर्जर का कब्जा काश्त है तथा उक्त ख0न0 की खातेदारी गीता देवी पत्नि बदरी,विन्तोष पुत्री बदरी गुर्जर, राजेश, विष्णु कुमार पुत्र बदरी गुर्जर के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जिससे स्पष्ट होता है कि आवंटित भूमि पर आवंटन से लेकर आदिनांक तक आवंटी अथवा उसके वारिसान का कब्जा काश्त नही रहा है। आवंटन आदेश की जानकारी होने पर एवं दिनांक 12.10.2020 को नकल प्राप्त होने पर निगरानी जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के पेश की गयी है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आदेश जैर निगरानी खारिज करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस अप्रार्थी की ओर से पैरवी करने से मना किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अप्रार्थी के पिता/पति को आवंटित उक्त भूमि पर अप्रार्थीगणों एवं आवंटी का कब्जा काश्त नही है एवं आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध कब्जा रिपोर्ट में आवंटी का कोटा रहना अंकित किया है अर्थात आवंटी फलोदी नही रहकर कोटा रहता है इसके अतिरिक्त तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भी आवंटि का आवंटित भूमि पर का कब्जा नही है तथा आवेदन पत्र मे आवंटी के नाम एवं हस्ताक्षर के स्थान पर कांटछांट कर रखी है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के पूर्वज बद्री के पक्ष मे किया गया उक्त आवंटन विधिसम्मत प्रतीत नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने योग्य है ।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार किया जाकर आदेश जैर निगरानी आवंटन आदेश दिनांक 5.9.1985 खारिज किया जाता है। प्रार्थी के पक्ष मे आवंटन किया जाने का अनुतोष दिया जाना इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नही है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner